

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 14/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी केकडी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री भगवान प्रसाद पांचाल पुत्र श्री मदनलाल पांचाल

मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार चमन चौराहा सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री विजय सिंह बैस – अभिभाषक अप्रार्थी
श्री भगवान प्रसाद पांचाल – अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.03.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2024 को श्री खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक सावर द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की जांच करने वास्ते मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार चमन चौराहा सरवाड तहसील सरवाड मौके पर जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को भट्टी से जोड़ कर मिठाई बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक भगवान प्रसाद पांचाल से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग लिये जाने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/ दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये हैं। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल मार्का के पाये गये मौके पर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड के प्रतिनिधी श्री सत्यनारायण रेगर को बुलवाकर वजन तौल कार्यवाही करवायी गयी। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	169404 एस	BPCL	21.500	15.600	05.900
	601568 एस	BPCL	15.800	15.800	00.00

प्रकार श्री भगवान प्रसाद पांचाल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण अधिनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, घरेलू 05.900 किलो ग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड को जरिये मैनेजर श्री प्रकाश चन्द सैन अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में




(लोकसंघ)
जिला कलक्टर, अजमेर

दिया गया है। श्री भगवान प्रसाद पांचाल पुत्र श्री मदनलाल पांचाल फर्म मालिक मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार चमन चौराहा सरवाड तहसील सरवाड द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 05.900 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पत्रावली जिला कलक्टर केकडी से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर बहस को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.10.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) एवं 7(1) सी का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 05.900 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नहीं है। शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.10.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। स्वयं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 05.900 किलोग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उपरोक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2025 को सरे सुनाया गया।


(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

